भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1614

01 अगस्त, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

महाराष्ट्र में पीएम स्वनिधि योजना

1614. डॉ. हेमंत विष्णु सवराः

श्री भास्कर मुरलीधर भगरेः

श्री नागेश बापुराव अष्टिकर पाटिलः

श्री अमर शरदराव कालेः

प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ः

श्री निलेश ज्ञानदेव लंकेः

श्रीमती सुप्रिया सुलेः

श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटीलः

डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हेः

श्री बजरंग मनोहर सोनवणेः

श्री संजय दीना पाटिलः

क्या ***आवासन और शहरी कार्य*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केंद्र सरकार महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना लागू कर रही है;

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र में इस योजना से लाभान्वित होने वाली महिला स्ट्रीट वेंडर्स की संख्या कितनी है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में विशेष रूप से पालघर जिले में पीएम स्वनिधि योजना के तहत पंजीकृत कुल लाभार्थियों की वर्ष-वार संख्या कितनी है;

(घ) लाभार्थियों को प्रदान किए जा रहे ब्याज दर पर ऋण और सरकार और लाभार्थियों द्वारा वहन की जाने वाली राजसहायता के प्रतिशत का ब्यौरा क्या है;

(ङ) प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत में लेकर अब तक इसमें निजी क्षेत्र के बैंकों की हिस्सेदारी कितनी है;

(च) क्या सरकार ने निजी क्षेत्र के बैंकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने तथा योजना में कुल संस्वीकृत्तियों और संवितरणों में उनकी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा स्ट्रीट वेंडरों के बीच ई-कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क): जी हां, प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना महाराष्ट्र राज्य सहित पूरे देश में कार्यान्वित की जा रही है।

(ख): आज की तिथि में, इस योजना के तहत महाराष्ट्र में कुल 3.60 लाख महिला लाभार्थी हैं।

(ग): महाराष्ट्र राज्य और पालघर जिले में पीएम स्वनिधि के तहत पंजीकृत लाभार्थियों की संख्या निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	**लाभार्थियों की संख्या**	
	महाराष्ट्र	**पालघर**
2021-22	48,669	807
2022-23	1,49,490	5,197
2023-24	4,39,841	13,221

(घ): पीएम स्वनिधि योजना के तहत, ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, मौजूदा आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार है। समय पर ऋण अदायगी या समान मासिक किस्तों (ईएमआई) के पूर्व भुगतान पर तिमाही आधार पर केंद्र सरकार द्वारा 7% की ब्याज सब्सिडी का भुगतान किया जाता है।

(ड.) और (च): महाराष्ट्र में पीएम स्वनिधि योजना के तहत, निजी क्षेत्र के बैंकों ने कुल ऋणों का लगभग 1% संवितरित किया है। 24 जुलाई, 2024 तक, निजी बैंकों ने इस योजना के तहत महाराष्ट्र में 18,046 ऋण स्वीकृत किए हैं और 10,384 ऋण संवितरित किए हैं। आवासन और

शहरी कार्य मंत्रालय और वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) नियमित रूप से योजना के तहत अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए निजी क्षेत्र के बैंकों सहित ऋण देने वाली संस्थाओं के साथ संयुक्त और साथ ही अलग-अलग समीक्षा बैठकें भी आयोजित करते हैं।

(छ): ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर पथ विक्रेताओं को शामिल करने के लिए मंत्रालय ने स्विगी और जोमैटो के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लगभग 9,400 स्ट्रीट फूड विक्रेता को शामिल किया गया है।

*****